

प्रधानमंत्री आवास योजना

सबके लिए आवास (शहरी)



भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अनुदान राशि की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (जिसके पास पक्का आवास नहीं है), के सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की निम्न योजनाओं में पंजीकरण कराके अपना पक्का आवास प्राप्त कर सकते हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम/ (रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या)	भवनों की संख्या	भवन का कार्पेट एरिया/सुपर एरिया (व.मी. में)	भवन का मूल्य (रु.लाख में)	लाभार्थी द्वारा देय धनराशि (लाख में)
1.	शारदा नगर विस्तार UPRERAPRJ215548	2256	24.68-24.75/ 36.65	6.51	4.01
2.	बसंतकुंज योजना सेक्टर-एन	2256	24.68-24.75/ 36.65	6.51	4.01

POCKET - A UPRERAPRJ684702, POCKET - B UPRERAPRJ859546 POCKET - C UPRERAPRJ706401, POCKET - D UPRERAPRJ440627

नोट:-

- पंजीकरण शुल्क रु. 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) तथा आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा एक माह के अन्दर रु. 45,000/- तथा अवशेष देय धनराशि 6 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- प्रधान मंत्री आवास योजना में भवन प्राप्त करने के लिए (सूडा) में पंजीकृत चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं, किन्तु अन्य आवेदकों का सत्यापन सूडा द्वारा किये जाने के उपरान्त सत्यापित आवेदक ही आवंटन के पत्र होंगे।

पात्रता :-

- आवेदक की वार्षिक आय रु. 3.0 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक एवं लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य।
- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

ई-पंजीकरण
दि. 30.7.2020 से
दि. 25.09.2020
तक

प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण कराने वाले आवेदकों की सुविधा हेतु निम्नलिखित निःशुल्क सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जहाँ इच्छुक आवेदक अपना पंजीकरण करा सकता है।

- जोन-1** • इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, विभूति खण्ड, गोमती नगर • गोमती नगर विस्तार, सामुदायिक केन्द्र, थाने के पास • प्राधिकरण भवन स्थित बारादरी हॉल, विपिन खण्ड, गोमती नगर

- जोन-2** • स्मृति उपवन, आशियाना

- जोन-3** • देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत एस.एम.आई.जी. टावर भवन
जोन-4 • एल.डी.ए. स्टेडियम, अलीगंज
जोन-5 • जनेश्वर इन्क्लेव (अपार्टमेन्ट), कुर्सी रोड, निकट सेंट मेरी हॉस्पिटल,
जोन-6 • लालबाग स्थित एल.डी.ए. कार्यालय
जोन-7 • जागर्स पार्क, बसन्तकुन्ज
• डा. राम मनोहर लोहिया पार्क, चौक

योजना में आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.in के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा होंगे।



लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 4001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) टेल फ्री- 1800-1800-5000, वेबसाइट: www.ldaonline.in

Size_11x15= 165 Sq cms